कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-380/2023 दिनांक- 29.11.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 22/11/23 को वादिनी मुकदमा ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 20.11.23 को अभियुक्त सुन्दर पुत्र बुद्धिराम ग्राम बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी की लड़की को कही भगा ले गया है, थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 491/23 धारा 363/366 भादवि बनाम सुन्दर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 23.11.23 को अपहृता की बरामदगी की जा चुकी है। दौरान विवेचना पीड़िता के बयान व उम्र प्रमाण पत्र अवलोकन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवी व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक- 29.11.23 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुन्दर पुत्र बुद्धिराम ग्राम बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ को समय 10.20 बजे ब्रम्ह बाबा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 491/23 धारा 363/366/376 भादवी व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सुन्दर पुत्र बुद्धिराम ग्राम बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व0उ0नि0 गोपाल जी थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 नितिन श्रीवास्तव थाना बरदह, आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन में दिनांक- 28.11.2023 को जनपद आजमगढ के समस्त थानों पर नियुक्त ग्राम प्रहरी/चौकीदार को साईकल मरम्मत व टार्च के सेल का क्रय हेतु अनुरक्षण/मरम्मत का भुगतान वर्तमान वर्ष 2023-24 में 1355 कर्मियों को उनके बैंक खाते में ई- पेमेण्ट के माध्यम से 10,94,840/- रूपयें की धनराशि चौकीदारों के खाते में भुगतान किया गया हैं।

थाना – कन्धरापुर

दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.11.2023 को वादी मुकदमा राम मिलन गुप्ता पुत्र घूरहू गुप्ता ग्राम मल्लूपुर पश्चिमपुरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि मेरी पुत्री रीमा गुप्ता की शादी सत्यनरायण गुप्ता पुत्र विशुनदयाल गुप्ता ग्राम सिकरौरा जुनैदगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ हुई थी मेरी पुत्री के पति उसके ससुर विशुनदयाल गुप्ता पुत्र अज्ञात उसके जेठ सुशील गुप्ता पुत्र विशुनदयाल गुप्ता एवं जेठान सोनी गुप्ता पत्नि शुशील गुप्ता दहेज आदि बातो को लेकर आये दिन माराते पिटाते थे तथा जान से मार कर मेरी पुत्री रीमा गुप्ता को घर से भगा दिये इस घटना से आहत होकर मेरी पुत्री रीमा गुप्ता ने घर आत्महत्या कर लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 348/2023 धारा 498ए/304 बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. सत्यनरायण गुप्ता (पति) पुत्र विशुनदयाल गुप्ता 2. सुशील गुप्ता पुत्र विशुनदयाल गुप्ता (जेठ) 3. सोनी गुप्ता (जेठान) पत्नि शुशील गुप्ता 4. विशुनदयाल गुप्ता (ससुर) पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम सिकरौरा जुनैदगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 29.11.2023 को थानाध्यक्ष ब्रम्हदीन पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सत्यनरायण गुप्ता पुत्र विशुनदयाल गुप्ता निवासी ग्राम सिकरौरा जुनैदगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्स प्रेस-वे सेहदा से समय करीब 12.55 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 348/2023 धारा 498ए/304 बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता– सत्यनरायण गुप्ता (पति) पुत्र विशुनदयाल गुप्ता निवासी ग्राम सिकरौरा जुनैदगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष ब्रम्हदीन पाण्डेय मय हमराह का0 नितिन कुमार, का0 सुधीर सिंह, का0 अमित कुमार थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

थाना- बरदह

उत्सव में मानक से तीव्र ध्वनि से डी0जे0 बजाने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत

दिनांक 28.11.2023 को वादी मुकदमा उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि ग्राम भुलनडीह थाना बरदह जनपद आजमगढ में सज्जन चौहान की पुत्री रिया चौहान के घर चन्द्रेश चौहान पुत्र करनजीत ग्राम-भौराठे- थाना खेतासराय जिला जौनपुर व अरुन चौहान पुत्र चन्द्रजीत चौहान ग्राम भौराठे थाना खेतासराय जिला जौनपुर, अतितीव्र आवाज में डी0जे0 बजा रहे थे इनके डी0जे0 बजाने से आम जनमानस में न्यूसेन्स पैदा हो रहा है जिससे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे, बिमार व बृद्ध जन को समस्या हो रही है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 495/23 धारा 268,188 भादवि0 व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाम 1. चन्द्रेश चौहान, 2. अरुण चौहान उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी का विवरणः- डी0जे0 मशीन

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 495/23 धारा 268,188 भादवि व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

02 वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 15-15 हजार का नकद पुरस्कार घोषित

दिनांक- 28.11.2023 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा **थाना तहबरपुर** पर पंजीकृत मु.अ.स. 135/2023 धारा 354/504/506 भादवि0, व 7/8 पाक्सो एक्ट में 02 वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से प्रत्येक अभियुक्त पर 15-15 हजार का नकद पुरस्कार घोषित किया गयाः-

अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है:-

1. दीपक उर्फ दीपू विश्वकर्मा पुत्र प्रेम विश्वकर्मा निवासी मकदूमपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मजनू विश्वकर्मा पुत्र प्रेम विश्वकर्मा निवासी मकदूमपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

गोवध व पशु तस्करी से सम्बन्धित 02 गैंग पंजीकृत

दिनांक- 28.11.2023 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा **गोवध व पशु तस्करी** से सम्बन्धित 02 गैंग पंजीकरण कराया गया। जिसमें पशु तस्करी से 03 व गोवध से 03 अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उपरोक्त गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है।

➡पंजीकृत गैंग का विवरण निम्नवत है-

➡ 1- **थाना निजामाबाद- अभियुक्त कलीम अहमद उर्फ चुन्नू पुत्र स्व0 इद्रीस निवासी चकिया झझवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़** जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए **पशु तस्करी करने** जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर **"सूचीबद्ध" (पशु तस्कर गैंग)** किया गया है। इसका कोड नं0- **"डी- 211"** होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत हैं-

1. असलम पुत्र मो0 शफीक निवासी चकिया झझवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष।
2. मेराज पुत्र अनीस निवासी चकिया झझवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।
3. शकील पुत्र जब्बार निवासी चकिया झझवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।

➡ 2- **थाना निजामाबाद- अभियुक्त मो0 शमशाद अहमद पुत्र इस्माईल निवासी मुइया मकदूमपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़** जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए **गोवध गैंग** जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर **"सूचीबद्ध" (गोवध गैंग)** किया गया है। इसका कोड नं0- **"डी-212"** होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत हैं-

1- सरफराज पुत्र मुस्तफा निवासी मुइया मकदुमपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

2- शादाब पुत्र लतीफ निवासी मुइया मकदुमपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

3- मो0 अल्ताफ पुत्र लतीफ निवासी मुइया मकदुमपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

थाना निजामाबाद

28 लाख रुपये कीमत की लगभग 4 हजार लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

आज दिनांक 29.11.2023 को उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव थानाध्यक्ष निजामाबाद मय हमराह को मुखबीर ने सूचना दिया कि हरियाणा व पंजाब में बनी अवैध विदेशी शराब 01 DCM वाहन में लादकर चालक व व्यापारी फूलपुर की तरफ से होते हुये बिहार की तरफ जाने वाले है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष निजामाबाद मय हमराह, आबकारी टीम के साथ दुबौलिया गौसपुर पर उक्त वाहन का इतंजार करने लगें कुछ ही देर में 01 वाहन आता हुआ दिखाई दिया जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो चालक वाहन लेकर भागने का प्रयास करने लगा जिसका पीछा किया गया तो वाहन कुछ दुर जाकर अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में बैठे चालक व अन्य व्यक्ति निकल कर भागने लगे जिनका पीछा किया गया परन्तु वे लोग अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल रहें। तलाशी के दौरान उक्त वाहन से विभिन्न ब्रान्ड के लेवल लगें लगभग 4000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (कीमत करीब 28 लाख रुपये) बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0520/2023 धारा 60/63/78 आब0अधि0 व धारा 419/420/467/468/471 भादवि बनाम अज्ञात चालक व व्यापारी के विरुद्ध पंजीकृत कर अवैध अंग्रेजी शराब को समय करीब 4:30 कब्जे में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0स0 0520/2023 धारा 60/63/78 आब0अधि0 व धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 थाना निजामाबाद।

बरामदगी- विभिन्न ब्रान्ड के लेवल लगें लगभग 4000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (कीमत करीब 28 लाख रुपये)।

बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0 नि0 सच्चिदानन्द यादव थानाध्यक्ष निजामाबाद मय हमराह।

2.उ0नि0 कन्हैयालाल मौर्य थाना निजामाबाद आजमगढ़।

3.उ0नि0 कैलाश सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़।

4.अभिषेक कुमार त्रिपाठी आबकारी निरी0 क्षेत्र 5 निजामाबाद आजमगढ़ मय हमराह।

5.संदीप कुमार आबकारी निरी0 क्षेत्र 4 फूलपुर आजमगढ़ मय हमराह।

6.संजय कुमार आबकारी प्रवर्तन दल 2 आजमगढ़ मय हमराह।

7.कौशलेन्द्र प्रताप सिंह प्रवर्तन दल 1 आजमगढ़।